लोक-परिवहन कामगारों को **कोविड - 19 से सुरक्षित रखें**

माँगो का वैश्विक चार्टर

कोविड-19 महामारी से संघर्ष करते हुए हमारे लोक परिवहन कामगार अग्रिम पंक्ति में मौजूद हैं। ये कामगार हैं- ड्राइवर, टिकट विक्रेता, कंडक्टर और,सफाई-कर्मी। इनकी महत्वपूर्ण सेवाओं से हमारा लोक-परिवहन काम करता है और महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले दूसरे कामगार अपनी यात्रा कर पाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि बीमारों की देखभाल हो और जरूरी सामानो की आपूर्ति जारी रहे।

कोविड-19 की वजह से अब तक १५० से अधिक श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है। हजारों की संख्या में कामगार संक्रमित हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा के अपर्याप्त मानकों ने लोक परिवहन कामगारों के जोखिमों को और भी बढ़ा दिया है जिसके चलते परिवहन कामगारों को इस संकट के समय में भी काम करना पड़ता है।

लोक परिवहन कामगारों की संक्रमितों के सम्पर्क में आने की संभावनाएं अधिक हैं. इसलिए यह व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुददा बन जाता है, इन कामगारों से यह अपेक्षित है कि अन्य कर्मचारियों की तरह ये अपनी सेवाएं देते रहें। इस महामारी ने देखभाल के काम (Care giving) को बढ़ा दिया हैं, और ये अंतराष्ट्रीय क़ानूनों में निहित हैं। कुछ देशो ने कोविड-19 को व्यावसायिक बीमारी के रूप में भी पहचाना हैं, जिसके कारण कामगार मुआवजे के हक़दार बन जाते हैं ।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के अपर्याप्त मानकों ने लोक परिवहन कामगारों के जोखिमों को और भी बढ़ा दिया है जिसके चलते परिवहन कामगारों को इस संकट के समय में भी काम करना पड़ता है।

लोक-परिवहन कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। किसी भी कामगार कोअत्याधिक ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए या काम के वजह से मृत्यु नहीं होना चाहिए। पिछले बयानों के अनुरूप, आई. टी. एफ (ITF) यह माँग करती है की लोक-परिवहन कामगारों की निम्नलिखित माँगे तत्काल प्रभाव से मानी जाए -

1 पर्याप्त और उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs)

- जिसमे शामिल है दस्ताने, मास्क, हाथ की सफाई करने के लिए सेनिटाइज़र और साबुन।
- जो एरोसोल और त्वचा से सम्पर्क रोकने के लिए उपयुक्त हो।
- यूनिफॉर्म या वर्दी को धोने की उचित व्यवस्था जिससे संक्रमण की संभावना ना हो।
- PPE का सुरक्षित उपयोग और उन्हें नष्ट करने का आवश्यक प्रशिक्षण।
- कामगारों से PPE के लिए कोई शुल्क /कीमत ना वसूली जाए।

2 . काम करने की ऐसी स्थिति जो संक्रमण को कम करे और शारीरिक दूरी को सुगम बनाए; जिसमे शामिल है

- कोविड-19 की नियमित और मुफ्त जाँच की आसान उपलब्धता।
- टिकट बुकिंग कार्यालयों, डिपो, वाहनों, शयनगृहो (dormitories) और कार्य स्थलों में सख्ती से नियमित सफाई हो।
- किरायों का कैशलेस भुगतान, टिकटों का निरीक्षण न हो, रियर-डोर/ पिछले दरवाज़े से एंट्री और/ या ड्राइवरों के बंद दरवाज़े (विकलांगों को छोड़कर),Perspex स्क्रीन, आगे की सीट को ब्लॉक करना, प्रति वाहन यात्रियों की सीमित संख्या, आवश्यक सेवा के कर्मचारियों को प्राथमिकता, यात्रियों के लिए मास्क का प्रावधान, ऋण स्थगन और राजस्व लक्ष्य को हटाना।
- लोक-परिवहन कामगारों के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था।
- उपयुक्त स्वच्छता सुविधाएँ और अतिरिक्त विराम, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय और धुलाई की सुविधाएँ कम हैं और शारीरिक दूरी सुविधाओं तक पहुंच को धीमी करती है।
- प्रतिशोध के डर के बिना, अपने जीवन या स्वास्थ्य सम्बंधित संभावित खतरे की स्थिति में काम करने से मना करने का अधिकार।

3 . स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंच,जो कमजोर और बीमारों की रक्षा करती हैं, जिसमे शामिल हैं

- मज़दूरों के लिए पर्याप्त मज़दूरी और नौकरी की सुरक्षा ताकि वो अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों व गर्भावस्था को देखते हुए अपने या अपने परिवार के साथ एकांतवास कर सकें।
- व्यापक एवं निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की उपलब्धता ।
- कोविड-19 से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कामगारों (उदाहरण के लिए संक्रमण, अलगाव या बच्चे की देखभाल का दायित्व) के लिए पर्याप्त वैतनिक अवकाश और वित्तीय मुआवजा।

4 . सार्वजनिक परिवहन कामगारों की प्रमुख भूमिका को सराहना के तौर पर

- वेतन या आय में बढ़ोतरी।
- काम के वजह से मृत्यु होने पर बढ़ा हुआ मुआवजा और पेंशन समेत लाभों का भुगतान ।

5. कार्यस्थल के खतरों और कामगारों के स्वास्थ्य की नियमित जानकारी और रिपोर्टिंग; जिनमे शामिल हैं

- जानकारियाँ प्राप्त करने की त्वरित सुविधाएं, मालिकों की कोविड -19 से बचाव के उपाय पर पर्याप्त प्रशिक्षण जिससे वे खतरे, एक्सपोज़र पैटर्न और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को पहचान सकें।
- एकांतवास, संक्रमण और मृत्यु-दर सम्बंधित लैंगिक, जातीय, वांशिक और नौकरी के दर्ज़ों पर आधारित असमानताओं और कमजोरियों की पहचान और निराकरण के उपाय।
- श्रमिकों पर आने वाले खतरों की चेतावनी देने वाले शिकायत तंत्र, व्हिसलब्लोअर के बचाव की व्यवस्था, ताकि वे निडर होकर गुमनामी शिकायत कर सकें ।

6. ट्रेड यूनियन अधिकार; जिनमे शामिल हैं

- सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के डिज़ाइन में परामर्श और भागीदारी
- समस्त नज़दीकी एवं दूर स्थित कार्य-स्थलों के श्रमिकों के प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाने के उपाय।

ये समस्त उपाय बैगैर किसी भेदभाव के लोक-परिवहन श्रमिकों पर लागू होने चाहिए जो लैंगिक और माइग्रेशन की स्थितियों के प्रति भी उत्तरदायी हो।

इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF) इस चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित, कपडा उद्योग में कार्यरत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs) बनाने वाले श्रमिकों की आय, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुरक्षा के वैश्विक आह्वान का भी समर्थन करता है।